

मध्यप्रदेश शासन

Dir/ विकास

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

आदेश

संसाधक (प्रशासन) 168

दिनांक 7/10/20

2022

भोपाल दिनांक 29/09/2020

क्रमांक एफ 12-16/2020/सत्रह/मेडि-तीन: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न संस्थाओं के सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. गोहद जिला भिंड में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 100 बिस्तर के सिविल अस्पताल में उन्नयन।
2. सिविल अस्पताल बरेली में 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में मेटरनिटी के लिए 20 अतिरिक्त बिस्तर (कुल 70 बिस्तर) वृद्धि।
3. गैरतगंज जिला रायसेन में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में उन्नयन।
4. बदनावर जिला धार में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में उन्नयन।
5. सुसनेर जिला आगर-मालवा में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में उन्नयन।
6. इच्छावर जिला सीहोर में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में उन्नयन।
7. पोरसा जिला मुरैना में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में उन्नयन।
8. सिलवानी जिला रायसेन में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में उन्नयन।

JD (Dev)

DD (Dev)

7/10

Dev section

7/10/20

9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानगंज विकास खण्ड बेगमगंज का 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन।

उन्नयन के फलस्वरूप इन संस्थाओं में अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति पृथक से जारी की जाएगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(मलिका निगम नागर)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12-16/2020/सत्रह/मेडि-तीन

भोपाल, दिनांक 29/09/2020

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. कलेक्टर जिला भिंड/रायसेन/धार/आगर-मालवा/सीहोर/मुरैना मध्यप्रदेश।
8. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. संबंधित क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिंड/रायसेन/धार/आगर-मालवा/सीहोर/मुरैना मध्यप्रदेश।
11. मुख्य अभियंता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
14. आर्डर फाईल।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग